रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212अ] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1971/अग्रहायण 10, 1893

No. 212A] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1971/AGRAHAYANA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st December 1971

G. S. R. 1788A.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby determines that for the purposes of sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S.No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1.	Australian Dollars	11·48
2.	Austrian Schillings	315
3.	Belgian Francs	601
4.	Canadian Dollars	13·11
5.	Danish Kroners	95·05
6.	Dutch Guilders	43·50
7.	Deutsche Marks	43·40
8.	French Francs	72·30
9.	Hong kong Dollars	80·00
10.	Italian Lire	8000
11.	Japanese Yen	4240
12.	Malaysia and Singapore Dollars	40·50
13.	Norwegian Kroners	89·70
14.	Pound Sterling	5·314
15.	Swedish Kroners	65·50
16.	Swiss Francs	52·10
17.	U.S.A. Dollars.	13·22

[No. 95/No. 503/7/71-Cus. VI]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1788आ.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 16 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	विदेशी करेंसी	सम की इकाई करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1	आस्ट्रेलियाई डालर	11.48
2	आस्ट्रिया ई शिलिंग	315
3	बेल्जियम के फ्रैंक	601
4	कनाडा के डालर	13.11
5	डेनमार्क के क्रोनर	95.05
6	डच गिल्डर	43.50
7	जर्मन (डूएदो) मार्क	43.40
8	फ्रांस के फ्रैंक	72.30
9	हांग कांग के डालर	80.00
10	इतालवी लीरा	80.00
11	जापानी येन	424
12	मलेशियाई और सिंगापुर डालर	40.50
13	नार्वे के क्रोनर	89.70
14	पौण्ड स्टर्लिंग	5.314
15	स्वीडन के क्रोनर	65.50
16	स्विटजरलैण्ड के फ्रैंक	52.10
17	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	13.22

[सं० 95/का० सं० 503/7/71-कस० 6]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971